

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1999}

**THE UTTAR PRADESH DISTRICT PLANNING COMMITTEE
ACT, 1999****[U.P. ACT No. 32 OF 1999]**

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1999}

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिये विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला स्तर पर, जिला योजना समिति का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 कहा जायगा।
प्रारम्भ

संक्षिप्त नाम और

(2) यह 19 मई, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2— इस अधिनियम में —

परिभाषाएँ

(क) “विधान सभा की निर्वाचक नामावली” का तात्पर्य राज्य विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की ऐसी निर्वाचक नामावली से है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबन्धों के अनुसार और उसके अधीन तैयार की गई हो ;

(ख) “समिति” का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित जिला योजना समिति से है ;

(ग) “जिला स्तर के अधिकारी” का तात्पर्य जिले के ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(घ) “क्षेत्र पंचायत” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत से है ;

(ङ) “मंत्री” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री-परिषद् के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत राज्य मंत्री और उप मंत्री भी सम्मिलित हैं ;

(च) “नगर पालिका” का तात्पर्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किसी नगर निगम, किसी नगर पालिका परिषद् या किसी नगर पंचायत से है ;

(छ) “जनसंख्या” का तात्पर्य ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हो;

(ज) “ग्रामीण क्षेत्र” का तात्पर्य नगरीय क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र से है ;

(झ) “नगरीय क्षेत्र” का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है;

(ञ) “जिला पंचायत” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित किसी जिला पंचायत से है।

{उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999}

{धारा

3-4}

3— (1) प्रत्येक जिले में, एक जिला योजना समिति का, जिले में पंचायतों और जिला योजना समिति का नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिए गठन विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये, गठन किया जायगा।

(2) समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में, —

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी :—

(एक) पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अन्तर्गत स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है ;

(दो) उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार ;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

4— (1) प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या उतनी होगी, जितनी विहित की जाय : प्रतिबन्ध यह है कि सदस्यों की संख्या बीस से कम और चालीस से अधिक नहीं होगी।

(2) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के चार बटा पांच सदस्य जिला पंचायत और जिले में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विहित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे।

(3) जहां जिले के नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक नगरपालिका समाविष्ट हों, वहां ऐसी नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से समिति के सदस्यों की संख्या को ऐसी नगरपालिकाओं में, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, वितरित किया जायगा।

(4) समिति के शेष एक बटा पांच सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट एक मंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) अध्यक्ष, जिला पंचायत ;

(ग) ऐसी नगरपालिका का, जो जिले के मुख्यालय पर स्थित हो, यथास्थिति नगर प्रमुख या अध्यक्ष ;

(घ) जिला मजिस्ट्रेट —पदेन ;

(ङ) ऐसे अन्य सदस्य, जिन्हें इस शर्त के अधीन रखते हुए कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की संख्या, समिति के कुल सदस्यों के एक बटा पांच लाख से अधिक न होगी, राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट किया जाय।

(5) उपधारा (4) के खण्ड (ङ) के अधीन नाम—निर्दिष्ट सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(6) समिति का कोई सदस्य, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम—निर्दिष्ट नहीं करेगा।

(7) यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथास्थिति नगरपालिका या जिला पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है, तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(8) यदि समिति के किसी निर्वाचित सदस्य का पद उसकी मृत्यु, त्याग—पत्र या अन्य कारण से रिक्त होता है तो रिक्त को उपधारा (2) के अधीन उपबंधित रीति से उसके शेष पदावधि के लिये भरा जायेगा।

{उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999}

{द्वारा

5—8}

5— समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्त के विद्यमान होने या समिति

रिक्तियां इत्यादि

समिति के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी

6— (1) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो ऐसे आमंत्रित

समिति के स्थायी

निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट हैं, समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे।

(2) राज्य की विधान परिषद् के सदस्य, जो ऐसे स्नातक या शिक्षक या स्थानीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट हैं, समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे।

(3) राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित या राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य की विधान परिषद् के सदस्य भी अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे।

(4) राज्य सभा के सदस्य भी जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे।

(5) कोई भी स्थायी आमंत्रित, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट नहीं करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री-परिषद् का सदस्य न हो, दो या अधिक जिलों में एक ही दिन ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो, वहां वह उस जिले को, जिसमें वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है, समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री-परिषद् का सदस्य हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो और वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने को स्थिति में न हो, वहां वह समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा।

7— (1) जिले का मुख्य विकास अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा और वह समिति के अभिलेखों का अनुरक्षण करने, समिति की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करने और विनिश्चयों और अन्य आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों की संसूचना देने के लिये उत्तरदायी होगा और समिति को ऐसी सहायता उपलब्ध करायेगा, जो उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

समिति का सचिव

स्पष्टीकरण :- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद "मुख्य विकास अधिकारी" के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी सम्मिलित है।

(2) जिले का अर्थ एवं संख्या अधिकारी समिति का ऐसी रीति से, जैसी समिति द्वारा निदेशित की जाय, समिति की सहायता करने के लिए पदेन संयुक्त सचिव होगा।

8— राज्य निर्वाचन आयोग को, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, समिति के सदस्यों का

समिति के

सदस्यों के निर्वाचन के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का, और उस निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार होगा।

निर्वाचन

{उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999}
{धारा 9}

9— समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी; अर्थात् :-

समिति के कृत्य

(क) राष्ट्रीय और राज्य योजना के उद्देश्यों के ढांचे के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों का अभिज्ञान करना ;

(ख) विकेन्द्रीकृत योजना के लिये और जिला और ब्लाक संसाधन की पार्श्विका तैयार करने के लिये आंकड़े का ठोस आधार तैयार करने हेतु जिले की प्राकृतिक और मानव संसाधन से सम्बन्धित सूचना को एकत्र, संकलित और अद्यतन करना ;

(ग) ग्राम, ब्लाक और जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना और उनका मानचित्रण करना;

(घ) उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों के अधिकतम और न्यायसम्मत उपयोग और समुपयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को अवधारित करना;

(ड) ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए तैयार की गयी पंचवर्षीय या वार्षिक विकास योजना के प्रारूप को, समग्र योजना के उद्देश्यों और रणनीतियों को दृष्टिगत रखते हुए, उपान्तरित या संशोधित और समेकित करना ;

(च) राज्य सरकार की विकास योजना ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, प्रस्तुत करना;

(छ) जिला के लिए रोजगार योजना तैयार करना ;

(ज) जिला योजना के वित्त पोषण के लिये वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन तैयार करना ;

(झ) जिला विकास योजना की समग्र रूपरेखा के भीतर सेक्टर और सब-सेक्टर के परिव्ययों का आवंटन करना ;

(ञ) जिले में विकेन्द्रीकृत योजना की रूपरेखा के अधीन कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सेक्टर और केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों और विधान सभा-निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं भी हैं, के अधीन प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन और समीक्षा करना;

(ट) जिला योजना में सम्मिलित की गई योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार को नियमित प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ;

(ठ) ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिज्ञान करना, जिनके लिये संस्थागत वित्त की आवश्यकता हो और योजना के साथ पश्चगामी और अग्रवर्ती संयोजन का समुचित उपाय करना और ऐसे निवेश के अपेक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करना ;

(ड) समग्र विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग सुनिश्चित करना;

(ढ) राज्य सरकार को, ऐसी राज्य क्षेत्रीय योजनाओं के सम्बन्ध में जिनका जिले के विकास की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण संबंध हो, सुझाव और संस्तुतियां देना ;

(ण) विभिन्न कार्यों और योजनाओं के लिए स्थल चयन को अन्तिम रूप देना;

(त) कोई अन्य कृत्य, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाय।

{उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999}
10-16}

{धारा

10— (1) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे, जो यथास्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में प्रगणित किये गये हों।

जिला योजना का
कार्यक्षेत्र

(2) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे मामले भी आ सकेंगे, जिन्हें समिति द्वारा आवश्यक समझा जाय या राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेशित करे।

11— (1) राज्य सरकार, जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का पता लगायेगी और उनका प्राक्कलन करेगी और तदनुसार जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा का विनिश्चय करेगी।

जिला योजना की
अधिकतम सीमा

(2) उपधारा (1) के अधीन नियत की गई जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पुनरीक्षित या परिवर्तित की जा सकेगी।

12— समिति, जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देगी।
अन्तिम

जिला योजना का
रूप दिया जाना

13— (1) जिला योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार जिला का

जिलों को धन

योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुये, अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में जिलेवार धन के लिये उपबन्ध कर सकेगी और उसके सम्यक् विनियोग के पश्चात् एकमुश्त धनराशि जिलों को आवंटित करेगी।

आवंटन

(2) राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन रहते हुये, जिला मजिस्ट्रेट को धारा 12 के अधीन अन्तिम रूप से स्वीकृत जिला योजना के लिये वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुये, समिति, योजनाओं और कार्यक्रमों के परिव्यय को परिवर्तित, पुनरीक्षित या उपान्तरित कर सकेगी और जिला मजिस्ट्रेट धन का पुनः आवंटन विहित रीति से कर सकेगा।

14— यदि समिति के कृत्य, उसकी शक्ति या अधिकारिता के सम्बन्ध में या किसी समाधान

विवाद का

अन्य मामले के सम्बन्ध में कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता हो, तो विवाद या प्रश्न को राज्य योजना आयोग को निर्दिष्ट किया जायगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

15— (1) समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय पर ऐसे दिनांक की और ऐसे समय पर आयोजित की जायेगी, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किये जायें।

समिति की बैठक

(2) समिति अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिये विशेषज्ञों को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जो विहित किये जाये, आमंत्रित कर सकेगी।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, समिति का ऐसा सदस्य जिसे बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाय, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

16— समिति इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिये उपसमितियों का गठन कर सकेगी।

उप समितियां

{उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999}
17-23}

{धारा

17— राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिला योजना, समन्वय और अनुश्रवण से सम्बन्धित ऐसे कृत्य, जिनसे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप आच्छादित होते हों और जो की राज्य आवश्यक समझे जायें, समिति को समनुदेशित कर सकेगी।

समिति को कृत्य
समनुदेशित करने

18— इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक गई

सरकार की शक्ति
सद्भावपूर्वक की

की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, सरक्षण अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

कार्यवाही का

19— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने शक्ति के लिये नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की

20— राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम के अध्यधीन रहते हुए, समिति अपनी प्रक्रिया को स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगी।

समिति अपनी

विनियमित करेगी

21— (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो करने

कठिनाइयों को दूर

तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23—क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

22— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस

अध्यारोही प्रभाव

अधिनियम के उपबन्ध समिति के गठन और उसके सदस्यों के निर्वाचन, योजना की संरचना और उससे आनुषंगिक या पारिणामिक अन्य मामलों को सम्मिलित करते हुए सभी मामलों में लागू होंगे।

23— (1) उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अध्यादेश, 1999 एतद्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

THE UTTAR PRADESH DISTRICT PLANNING COMMITTEE ACT, 1999

[U.P. Act No. 32 OF 1999]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the constitution of District planning Committee at the district level for

consolidation of plans prepared by the Panchayats and the Municipalities in the district and

preparation of draft development plan for the district as a whole and for matters connected

therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Act, commencement 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh District Planning Committee 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 19, 1999.

Definitions 2. In this Act, -

(a) “Assembly rolls” means the electoral rolls of any constituency of the Legislative Assembly prepared under and according to the provisions of the Representation of the People Act, 1950 ;

(b) “Committee” means the District Planning Committee constituted under section 3;

(c) “District level officer” means such officer of the district as the State Government may, by notification, specify ;

(d) “Kshettra Panchayat” means a Kshettra Panchayat established under section 5 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zilla Panchayats Adhiniyam, 1961 ;

(e) “Minister” means a member of the Council of Ministers of the Government of Uttar Pradesh and includes a Minister of State and a Deputy Minister ;

(f) “Municipality” means a Municipal Corporation, a Municipal Council or a Nagar Panchayat constituted under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be ;

(g) “Population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published ;

(h) “rural area” means an area other than urban area ;

(i) “urban area” means the territorial area of a Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be ;

(j) “Zila Panchayat” means a Zila Panchayat established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

[The Uttar Pradesh District Planning Committee Act, 1999]
3-4]

[Section

Constitution
to of District
Planning
Committee

3. (1) There shall be constituted in every district a District Planning Committee, consolidate the plans prepared by the Panchayats and Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole.

plan :-

(2) The Committee shall in preparing the draft development

(a) have regard to :-

(i) matters of common interest between the Panchayats and Municipalities including spatial planning, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation ;

(ii) the extent and type of available resources whether financial or otherwise ;

(b) consult such institutions and organizations as the Governor may, by order, specify.

Composition
District
Planning
Committee
and

4. (1) Every Committee shall consist of such number of members as may be of prescribed :

Provided that the number of members shall not be less than twenty not more than forty.

(2) Four-fifths of the total number of members of the Committee shall be elected in the prescribed manner by, and from amongst, the elected members of the Zila Panchayat and of the Municipalities in the district in proportion to the ratio between the population of the rural areas and of the urban areas in the district.

(3) Where the urban area of the district comprises more than one Municipality, the number of members of the committee from amongst the elected members of such Municipalities shall be distributed amongst such Municipalities in such manner as may be prescribed.

(4) The remaining one-fifth members of the Committee shall be,-

(a) a Minister nominated by the State Government, who shall be the Chairperson of the Committee ;

(b) the Adhyaksha of the Zilla Panchayat ;

(c) the Nagar Pramukh or President, as the case may be, of the Municipality, which situate at the Headquarter of the district ;

(d) District Magistrate-*ex-officio* ;

(e) such other members as may be nominated by the State Government subject to the condition that the number of members under this sub-section shall not exceed one-fifth of the total members of the Committee;

(5) A member nominated under clause (e) of section 4 shall hold office during the pleasure of the Governor.

- (6) No member of the Committee shall nominate any person as his representative to attend a meeting of the Committee on his behalf.
- (7) An elected member of the Committee shall cease to be member thereof if he ceases to be member of the Municipality or Zila Panchayat, as the case may be.
- (8) If the office of an elected member of the Committee falls vacant owing to his death, resignation or otherwise, the vacancy shall be filled for the residue of his term in the manner provided under sub-section (2).

[The Uttar Pradesh District Planning Committee Act, 1999]
5-8]

[Section

Vacancies etc. 5. No act or proceeding of the Committee shall be invalid merely on the ground not to invalid- of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Committee.

date
proceeding
s
of the
Committee

Permanent
invitees to the
Committee

6. (1) Members of the House of the People and members of the Legislative Assembly of the State representing constitution which are comprised wholly or partly in the district shall be permanent invitees to the meetings of the Committee.
- (2) Members of Legislative Council of the State representing graduate or teachers or local bodies constituencies which are comprised wholly or partly in the district shall also be permanent invitees to the meetings of the Committee.
- (3) Members of the Legislative Council of the State elected by the member of Legislative Assembly of the State or nominated by the Governor shall also be permanent invitees to the meetings of the Committee of a district of their choice.
- (4) Members of Council of State representing the State shall also be permanent invitees to the meetings of the Committee of a district of their choice.
- (5) No permanent invitee shall nominate a person as his representative to attend a meeting of the committee on his behalf;

Provided that where a permanent invitee, who is not a member of the Council of Ministers of the Government of India or the Government of Uttar Pradesh, has been required to attend such meeting in two or more district on the same day, he may nominate a person as his representative to attend the meeting of the committee of a district in which he is not in a position to attend such meeting :

Provided further that where a permanent invitee, who is a member of the Council of Ministers of the Government of India or the Government of Uttar Pradesh, has been required to attend such meeting, he may nominate a person as his representative to attend the meeting of the committee if he is not in a position to attend such meeting.

- Secretary of
Secretary the Committee
of the 7. (1) The Chief Development Officer of the district shall be the *ex-officio* of the Committee and shall be responsible for maintaining records of the Committee, preparing minutes of meetings of the Committee, and communication of decisions and all other incidental or ancillary matters and shall make available to the Committee such assistance as may be necessary for the discharge of its functions.

Explanation:- For the purposes of this sub-section, the expression “Chief Development Officer” includes Chief Executive Officer.

- (2) The Economic and Statistics Officer of the district shall be the *ex-officio* Joint Secretary of the Committee to assist the Committee in such manner as may be directed by the Committee.

Election of members of Committee 8. The State Election Commission shall have superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, elections of the members of the Committee in such manner as may be prescribed.

[The Uttar Pradesh District Planning Committee Act, 1999]

[Section

n 9]

Functions of Committee 9. The Committee shall perform the following functions, namely :- the

- (a) to identify local needs and objectives within the frame work of national and state plan objectives ;
- (b) to collect, compile and update information relating to natural and human resources of the district to create a sound data base for decentralized planning and preparation of district and block resources profiles ;
- (c) to list and map amenities at village, block and district levels ;
- (d) to determine policies, programmes and priorities for development of the district, in order to ensure maximum and judicious utilisation and exploitation of available natural and human resources ;
- (e) to modify or amend and consolidate the draft Five Year or Annual Development plan prepared for the rural and urban areas ; keeping in view the over-all plan objectives and strategies ;
- (f) to submit development plan to the State Government in such manner as may be prescribed ;
- (g) to prepare employment plan for the district ;
- (h) to prepare estimate of financial resources for financing the district plan ;
- (i) to allocate sectoral and sub-sectoral outlays within the overall frame work of the district development plan ;
- (j) to monitor, evaluate and review progress under the schemes and programmes being implemented in the district under the decentralized planning framework including central sector and centrally sponsored schemes, and the Local Area Development Schemes of Parliamentary Constituencies and Assembly Constituencies ;
- (k) to submit regular progress reports to the State Government in respect of schemes included in the district plans ;
- (l) to identify schemes and programmes which require institutional finance, device appropriate forward and backward linkages with the plans and ensure requisite flow of such investment ;
- (m) to ensure participation of voluntary organizations in the overall development process ;
- (n) to make suggestions and recommendations to the State Government with regard to the State sector schemes having significant bearing on the process of development of the district to finalise site selection for different works and schemes;

(o) any other functions which may be entrusted by the State Government.

[The Uttar Pradesh District Planning Committee Act, 1999]

[Section 10-

16]

Scope of the district plan 10. (1) The District Plan shall include subjects enumerated in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, and the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 for the rural areas, or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 for urban areas, as the case may be.

(2) The district plan may also include such other matters as may be considered necessary by the Committee or as the State Government may, by order, direct.

District Plan Ceiling 11. (1) The State Government shall enquire into and estimate the financial resources for financing the District Plan and shall decide the district plan outlay ceiling accordingly.

(2) The District Plan outlay ceiling fixed under section (1) may be revised or altered at any time during the financial year by the State Government.

Finalization of district plan 12. The Committee shall finalize the draft development plan for the district. of the district plan

Allocation of money to districts 13. (1) For the purposes of the implementation of district plan. The State Government may, subject to District Plan outlay ceiling makes district-wise provisions for money in its annual financial statement and after due appropriation thereof shall allocation in lump-sum to the district.

(2) Subject to the supervision and control of the State Government. The District Magistrate shall have power to accord financial sanctions for the District Plan Finalized under section 12.

(3) Subject to the District Plan outlay ceiling fixed by the State Government, the committee may after, revised or modified outlay of the schemes and programmes of the District Plan and the District Magistrate may reallocated the money in the manner prescribed.

Resolution of Dispute 14. If any dispute or question arises in relation to function, powers or jurisdiction of the committee or in relation to any other matter, the dispute or question shall be referred to the State Government Commission whose decision thereon shall be final.

Meetings of Committee 15. (1) The meeting of the Committee shall be held at least once in every quarter at the the district Headquarter on such date and time as may be fixed by the Chairperson.

(2) The Committee may invite experts to attend its meeting on such terms and conditions as may be prescribed.

(3) In the absence of the chairperson, such other member of the committee as may be chosen by the members of the committee present in the meetings, shall preside over the meeting of the committee.

Sub-16. The Committee may constitute sub-committees to discharge any of its Committees functions under this Act.

[The Uttar Pradesh District Planning Committee Act, 1999]

[Section 17-

23]

Power of the Government assign 17. The State Government may, by order, assign to the Committee such functions State relating to the district planning, co-ordination and monitoring covering the activities of different departments of the State Government as may be deemed to necessary.

function
s to
the
committee
ee

Protection of 18. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for action taken anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of in good faith this Act or the rules made thereunder.

Power to 19. The State Government may be notification, make rules for carrying out the make rules purpose of this Act.

Committee to 20. Subject to any rule made by the State Government, the committee shall regulate its regulate its own procedure.

procedure

Power to 21. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State remove Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent difficulties with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiry of the period of two years from the date of the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before both Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect or rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Over-riding 22. Notwithstanding anything contained to the contrary in any other law for the effect time being in force the provisions of this Act shall apply in all matters including constitution of the committee and election of members thereof, formulation of plan and other matters incidental or consequential thereto.

Repeal and 23. (1) The Uttar Pradesh District Planning Committee Ordinance, 1999 is hereby savings repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.